संख्याः 258/16(1)/73–राजस्व–1

प्रेषक,

प्रवीण चन्द्र शर्मा,
राजस्व सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

1.समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
2.समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–1

दिनांक लखनऊ 9 मई,1984

विषयः **गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित, सीलिंग में प्राप्त अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में जमींदारी समाप्ति के बाद खातों के बाहर की भूमि/वस्तुऐं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम सभाओं /स्थानीय प्राधिकारियों में निहित कर दी गयी थी और उक्त अधिनियम की धारा 198 की उपधारा (1) में विहित वरीयताक्रम के अनुसार भूमि के आवंटन का अधिकार भूमि प्रबन्धक समितियों को दे दिया गया था। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सम्पत्तियां वस्तुतः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन राज्य सरकार में निहित सम्पत्तियां हैं, जिन्हे प्रबन्ध के लिए गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित किया गया है। अतएव कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिये ग्राम सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में इस प्रकार निहित सम्पत्तियां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 117 की उपधारा (6) के अधीन किसी भी समय पुनर्ग्रहीत की जा सकती है। पुनर्ग्रहण के बाद भूमि राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में आ जाती है और उसका उपयोग कृषि से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिय किया जा सकता है। इसप्रकार ग्राम सभाओं /स्थानीय प्राधिकारियों में निहित भूमि का उपयोग कृषि तथा उससे भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिये किया जा सकता है। सीलिग में प्राप्त भूमि भी कृषि प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जमीदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा 198 की उपधारा (1) में विहित वरीयताक्रम के अनुसार कलेक्टर द्वारा आवंटित की जा सकती है और कृषि से भिन्न प्रयोजनो के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम,1960 की धारा 25 तथा 27(2)के अधीन उपलब्ध करायी जा सकती है। इसी प्रकार अन्य सरकारी भूमि भी कृषि तथा उससे भिन्न प्रयोजनों के लिए गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट 1895 के अधीन पट्टे देकर उपलब्ध करायी जा सकती है।

शासन की जानकारी में यह बात आयी है कि कृषि योग्य भूमि की प्रस्तर-1 वर्णित आंवटन की प्रकिया के अलावा ग्राम सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित,सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त किसी नीतिपरक सामान्य सिद्धान्त का अनुपालन नही किया जा रहा है।जबकि भूमि के पात्र व्यक्तियों में आवंटन तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे कार्यकमों और निजी प्रयोजनों/उद्योंगे के निमित्त भूमि उपलब्ध कराये जाने में सामंजस्य होना अत्यन्त आवश्यक है। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सम्पत्तियों के पुनर्ग्रहण में भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त शासनादेश संख्या 258/16(1)-1978-रा0-1 दिनांक 5 जुलाई,1983 में निर्धारित सामान्य सिद्धान्त सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि पर लागू नही है और वे बदली हुई परिस्थिति में प्रासंगिक भी नही रह गये हैं। अतः समस्या के समस्त पहलुओं पर गम्भीरता पूर्वक विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार शासनादेश संख्या 258/16(1)-1978-रा0-1 दिनांक 5 जुलाई,1983 को अतिकमित करते हुएगांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त भावी पथ दर्शनार्थ निम्नवत सामान्य सिंद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं:-

1. गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सीलिंग में प्राप्त अन्य सरकारी कृषि योग्य भूमि का उपयोग विभिन्न अधिनियमों में वर्णित कमानुसार केवल पात्र व्यक्तियों को आवंटन तक ही सीमित रखा जायेगा। इस प्रकार की भूमि सिद्धान्तः अधिनियम की प्राथमिकताओं में आने वाले पात्र व्यक्तियों को ही दी जायेंगी, क्योंकि भूमि सुधार कानूनों की मंशा के अनुसार उपलब्ध कृषि योग्य भूमि पर सर्व प्रथम अधिकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा समाज के निर्बल वर्गो के व्यक्तियों का ही, है।
2. गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित ,सीलिंग में प्राप्त एवं अन्य सरकारी कृषि अयोग्य भूमि ग्रामवासियों की समान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिय आरक्षित की जायगी।
3. गाव सभा/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित,सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि यदि भूमिहीनों में आवंटन और ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिये आरक्षण के बाद भी शेष बचती है तो ऐसी कृषि अयोग्य भूमि केवल राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये ही उपलब्ध करायी जायगी। भारत सरकार के विभागों अथवा राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों की आवश्यकता से तात्पर्य विभागों के कार्यालय,विभागों के अन्तर्गत ऐसे प्रतिष्ठानों , जिनमें सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक अंश पूंजी लगी हो, के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने से होगा। सेवारत विभागों को भूमि निःशुल्क दी जायगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों से भूमि की कीमत प्रचलित ...

धनराशि भारत सरकारके विभागों से तथा 40 गुने के बराबर की धनराशि राज्य सरकारकेवाणिज्यिक विभागों से मालगुजारी के पूंजीकृत मूल्य के रूप में वसूल की जायगी।

4. यदि गांव सभा/स्थानीय प्राधिकारी में निहित,सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि पात्र व्यक्तियों को आवंटन और ग्रामवासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिये पर्याप्त हो तो राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अर्जन की कार्यवाही के माध्यम से भूमि की व्यवस्था की जायगी। भारत सरकार के विभागों अथवा राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों की आवश्यकता से तात्पर्य विभागों के कार्यालय,विभागों के अन्तर्गत ऐसे प्रतिष्ठानो, जिनमें सरकार की 50 प्रतिशत से अध्किाक अंशपूंजी लगी हो, के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने से होगा। यह प्रतिबन्ध सड़क नहर तथा नलकूप आदि के निर्माण के लिये लागू न होगा।, क्योंकि प्रश्नगत योजनायेंएक सीधे में चलती है और उनके लिये उपर्युक्त प्रतिबन्ध लगाने से उन का कार्यान्वयन में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार यह प्रतिबन्ध ऐसे क्षेत्रों के लिये भी लागू नही होगा जहां गांव सभा में निहित ,सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत अर्जित या अर्जन हेतु अधिसूचित क्षेत्र के बीच में पड़ती हो।

5. जहां तक राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों को भूमि देने में पारस्परिक वरीयता का प्रश्न है,सेवारत विभागों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायगी तथा अन्य दशा में उस विभाग को वरीयता दी जायगी, जिसके द्वारा पहले भूमि की मांग की गई हो।

6. प्राईवेट व्यक्तियों/उद्योग/निजी कम्पनियों को गांव सभा/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित, सीलिंग में प्रापत तथा अन्य सरकारी भूमि उसी दशा में उपलब्ध करायी जायगी जब भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को आवंटन ,ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता एवं ग्राम के सुनियोजित विकास के लिये भूमि के आरक्षण और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये भूमि उपलब्ध कराने के बाद भी शेष रहती हो। प्राईवेट व्यक्तियों/उद्योगों/निजी कम्पनियों की आवश्यकता के लिये भूमि सर्वाधिकार सहित देने के बजाय पट्टे पर एक निर्धारित अवधि के लिये दी जायेगी और उनसे वर्तमान बाजार दर की दो गुने दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराया जायगा तथा नई दरों पर निकाली गई मालगुजारी के दो गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके ही भूमि पट्टे पर दी जायगी।

3. उपरिलिखित प्रस्तर–2 में विहित सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार राज्यों के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित जिलाधिकारी को

हस्ताक्षरम्र से इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि सम्बन्धित ग्राम के समस्त पात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिये अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है। इसी प्रकार प्राईवेट व्यक्तियों/उद्योगों /निजी कम्पनियों को गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित ,सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित जिलाधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि सम्बन्धित ग्राम में समस्त पात्र व्यक्तियों को भूमिका आवंटन किया जा चुका है तथा ग्राम की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिये अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है अथवा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन/लम्बित नही है।

भवदीय,

प्रवीण चन्द्र शर्मा
सचिव।

संख्या 258/16(1)/73--राजस्व--1,तददिनांक

प्रतिलिपि शासनादेश संख्या 258/16(1)/1978--राज0--1,दिनांक 5 जुलाई,1983 के अतिक्रमण में निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ,उत्तर प्रदेश।
2. सचिव,राजस्व परिषद,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

प्रवीण चन्द्र शर्मा
सचिव।

संख्याः 1695/97–1–1(60)/93–280–रा0–1

प्रेषक,

श्री एस0पी0आर्य,
प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

1.समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
2.समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–1 दिनांक लखनऊ 12 सितम्बर,1997

विषयः गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग–1 से जारी शासनादेश संख्या 258/16(1)/73–राजस्व–1,दिनांक 9 मई,1984 में आंशिक संशोधन तत्कालिक प्रभाव से करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर–3 में भूमि की कीमत के अतिरिक्त मालगुजारी के 30 गुने के स्थान पर माल गुजारी के 100 गुने के बराबर धनराशि भारत सरकार के विभागों से, तथा 40 गुने के स्थान पर 150 गुने के बराबर की धनराशि राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों से मालगुजारी के पूंजीकृत मूल्य के रूप में अब वसूल किये जायेंगे।

2. इसी प्रकार उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर(6)में प्राईवेट व्यक्तियों/उद्योगों/निजी कम्पनियों को गांव सभा/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित,सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के लिये वर्तमान बाजार दर की दो गुने दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गई मालगुजारी के दो गुने के स्थान पर 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके ही भूमि पट्टे पर दी जायेगी।

3. उक्त सीमा तक शासनादेश दिनांक 9 मई,1984 संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

एस0 पी0 आर्य
प्रमुख सचिव।

संख्य1695(1)/97–1–1(60)/93–280–राज0–1,तद्दिनांक

प्रंतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्षं तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त एवं सचिव राज़स्व परिषद,उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

एस0 पी0 आर्य
प्रमुख सचिव।

संख्या :888/एक-1/2004-राजस्व-01

प्रेषक,

कपिल देव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व-अनुभाग-01 लखनऊ: दिनांक: सितम्बर, 2004.

विषय: ग्रामसभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त सामान्य सिद्धांत का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1695/97-1-1601/93-280-रा01 दिनांक 12 सितम्बर, 1997 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अब तक भूमि की कीमत के अतिरिक्त मालगुजारी के 100 गुने के बराबर धनराशि भारत सरकार के विभागों से तथा 150 गुने के बराबर की धनराशि राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों से पूंजीकृत मूल्य के रूप में वसूल करने एवं प्राइवेट व्यक्तियों/उद्योगों/निजी कम्पनियों से 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके ही भूमि पट्टे पर दिए जाने की व्यवस्था थी। अब सभी से मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा।

2. उक्त सीमा तक शासनादेश दिनांक 12.9.1997 संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(कपिल देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या:888(1)/एक-1/2004-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0, ।
(3) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ ।
(4) राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग/गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(अमर नाथ)